

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 27 / 2017(2017 / 00086) वाद पत्र

अनवान

1. डालचन्द आत्मज गोपीलाल खटीक निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1—हजारी आत्मज नाथु बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—मु० लादी पुत्री नाथु पत्नि गिरधारी बलाई निवासी हाल थला तहसील रायपुर
- 3—मु० लक्ष्मी पुत्री नाथु पत्नि शिवाजी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—मु० राधा पुत्री नाथु पत्नि लाडुजी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—मु० नैनु पत्नि नाथु बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—अम्बालाल आत्मज प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7—लेहरू आत्मज प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा० टि० एक्ट

उपस्थित

1.—फारुख मोहम्मद

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 28.05.2018 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 99 रकबा 0.73 है०, कुल किता 1 कुल रकबा 0.73 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 101 पर स्थित है। जिसमे वादी का 4/9 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बौण्डस के आधार पर स्वतन्त्र राजस्व खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री किये जाने एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 09.12.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी के अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है अतः

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर की प्रस्तावित आराजी संख्या 99/1 रकबा 0.32 है0, डालचन्द पिता गोपीलाल खटीक सा. रामा खातेदार के नाम तथा प्रस्तावित आराजी न0 99/2 रकबा 0.41 है0, हजारी पिता नाथु लादी, लक्ष्मी, राधा पुत्रीया नाथु नेनु पत्नि नाथू अम्बालाल, लेहरू पिता प्रताप बलाई सा. देह खातेदार दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Sundar Lal Bumbhoda
24.12.19

(सुन्दरलाल बम्बोडा) अधिकारी,
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी),
रायपुर (भीलवाड़ा)
रायपुर जिला भीलवाड़ा



मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 27 / 2017(2017 / 00086) वाद पत्र

अनवान

1. डालचन्द आत्मज गोपीलाल खटीक निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1—हजारी आत्मज नाथु बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—मु० लादी पुत्री नाथु पत्नि गिरधारी बलाई निवासी हाल थला तहसील रायपुर
- 3—मु० लक्ष्मी पुत्री नाथु पत्नि शिवाजी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—मु० राधा पुत्री नाथु पत्नि लाडुजी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—मु० नैनु पत्नि नाथु बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—अम्बालाल आत्मज प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7—लेहरू आत्मज प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 रा० टि० एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर की प्रस्तावित आराजी संख्या 99/1 रकबा 0.32 है०, डालचन्द पिता गोपीलाल खटीक सा. रामा खातेदार के नाम तथा प्रस्तावित आराजी न० 99/2 रकबा 0.41 है०, हजारी पिता नाथु लादी, लक्ष्मी, राधा पुत्रीया नाथु नेनु पत्नि नाथू अम्बालाल, लेहरू पिता प्रताप बलाई सा. देह खातेदार दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 24.12.2019 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



Sundar Lal Bumboda
24/12/19
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

